

राजस्थान - सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 223/1956-57

प्रमाणात् किया जाता है कि श्री भवानी निकेतन मैनेजिंग कॉम्पनी, जयपुर वेस्ट का पंजीयन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवट 1850 के अन्तर्गत क्रमांक 223 पर दिनांक ग्राह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ छहन को दिया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तित कर "श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर कर दिया गया है। यह परिवर्तन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया।

यह परिवर्तन प्रमाण पत्र आज दिनांक पच्चीस मार्च अगस्त सन् एक हजार नौ सौ इक्याती को जयपुर में जारी किया गया।



श्री भवानी निकेतन
रजिस्ट्रार संस्थाएँ राजस्थान
जयपुर।

सचिव

श्री भवानी निकेतन संस्थाएँ राजस्थान

दस्तावेज़

S. M. Alavi
PRINCIPAL
Shri Bhawani Niketan T.I. College
Shekhawati Road, (Sikar Road)
JAIPUR 302 023

S. M. Alavi
प्राचारणी

भवानी निकेतन टी.आई.कॉलेज
राजस्थान राज्य प्रशासन
जयपुर - 302 023

राजस्थान सरकार
राजस्थान गृह-3। विभाग

क्रमांक: प. 211455। राज/गृह-3/90

जयपुर, दिनांक: 20.7.94

इ: आदेश :-

धैंकि भूमिका जयपुर रियासत द्वारा राज्यूत सरदार सभा, जयपुर को हाल मूल भवन, बौद्धिंग हाउस एवं कार्मिकों के अवास गृह निर्माण हेतु उनके पत्र क्रमांक: 7064/रैवे दिनांक 10.10.42 द्वारा तदीन संघाई जयपुर के ग्राम बस्ती सीताराम्भ की 41 बीघा 16 बिल्डा, ग्राम डौलाडा की 12 बीघा 18 बिल्डा, ग्राम परसराम्भ की 57 बीघा 3 बिल्डा तथा जंगलात ग्राम कार्म और चिकारजाना विभाग की 389.04 बिल्डा कुल रक्षा 50। बीघा 0। बिल्डा प्रियुष भूमि निशुल्क आवंटित की गई राज्य सरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प. 21260। रैवे/3/80 दिनांक 30.7.82 द्वारा जनाधिकारित भूमि पुनर्गृहण कर ली गई।

और धैंकि राज्य सरकार द्वारा प्रतारित आदेश क्रमांक प. 21260। रैवे/3/ दिनांक 30.7.82 द्वारा आवंटित भूमि निरस्त छिये जाने से पूर्व राज्यूत सभा एवं ग्रामीणी निकेतन विधा तमिति, जयपुर को नियमिक न्याय के लियान्तों ही जनुसार प्रथा तुन्हाई हेतु अक्षर दिया जाना चाहिये था। लैकिन उक्त सभा संघेक आदेश में राज्यूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन विधा तमिति, जयपुर को पर्याप्त तुन्हाई कर उनके द्वारा प्रत्युत उक्तर पर विवार करते हुए आवंटित भूमि का पुनर्गृहण किया जाना प्रत्यक्षतः परिलिपि नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतारित उक्त भूमि पुनर्गृहण आदेश का सुध्य आधार श्री भवानी निकेतन विधा तमिति द्वारा कृषि उपज समिति, जयपुर की मार्गे पर भूमि का भेंडाका किया जाना रहा जबकि जिला कलकटर, जयपुर ने कृषि उपज मण्डी तमिति को भूमि क्रय नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिये हुये थे। कृषि उपज मण्डी तमिति/क्रयरक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वायत्त ज्ञानी हाँस्या है एवं भूमि संज्ञामा में कृषि कियाग, राज्य सरकार भी सम्बद्ध पड़ था और हाँस्या विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प. 101214। कृषि/गृह-2-वी/74-पाई दिनांक 17.10. ते 76 बीघा भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वास्तव में श्री भवानी निकेतन विधा तमिति द्वारा कोई भूमि क्रिय नहीं हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में सभा संघेक आदेश दिनांक 30.7.82 न्यायपूर्वित नहीं था।

और धैंकि श्री भवानी निकेतन विधा तमिति धैंजीयन सौतायटी रजिस्ट्रे 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत तमिति। द्वारा यह अध्यावैदन करने पर कि उत्ते उक्त भूमि उक्त 1942 के प्रारम्भिक आवंटनादेश के जनुसार विधा प्रयोजनार्थ उपयोग में लैने हेतु धैंजीकृति दे दी जावै। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापन करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्थानियम् 1956 में निवित शक्तियों के अन्तर्गत भूमि तादादी 506 बीघा 4 बिल्डा, जो कि जिला कलकटर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्गृहण आदेश के जनुसार कर्वे में ली गई थी, श्री भवानी निकेतन विधा तमिति को आदेश क्रमांक प. 21260। रैवे/3/80/पाई-2 दिनांक 25.8.84 द्वारा पुनः आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड़ सरकारी के बतरा है। श्री भूमि तादादी 3 बीघा एवं ग्राम डौलाडा के जसरा है। 1069 की भूमि तादादी 4 बीघा 5 बिल्डा उक्त तमिति के बच्चे में तमानन्तर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लैने के लिये जारी किया गया। लैकिन इन आवंटन जाकों में प्रारम्भिक आवंटनादेश के अतिरिक्त अन-

---2.

Comptd by

Ranathu

प्राचारण
राजस्थान विकास विभाग
मेरठारामी रोड (खलनाल)
राजस्थान - 302 023

Bhawani

PRINCIPAL
Shri Bhawan Niketan T.T. College
Shekhawati Road, (Sikar Road)
JAIPUR - 302 023

- 2 -

झाँगे का समावेश किया जाने ते छारंभिल आफ्टन आदेख ला पुनर्धर्मिन भट्टी हुआ ।

और दूसि उपर भूमि आवैटन से सन्तुष्ट नहीं होते के कारण राज्यूत रक्षा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विवर उच्च न्यायालय में पाइका हुआ । 1655/84 दायर कर दी गई सर्व तदुपरान्त राज्यूत रामा सर्व ब्री भानी निषेतन विधा समिति के प्रतिनिधित्व की अतिथित में विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त इस भूमि आवैटन के तंत्रिका में टीपीलाल श्री जी आ रही इस विधादग्रन्त स्थिति पर विधार दिया गया । ब्री भानी निषेतन विधा समिति ने इस विधाद के फलस्वरूप विधा सर्व विधियाँ तैयारी करायीं, तकनीकी रख विषिष्ठ पारदृश्यमये हैं संयालन रह नये पारदृश्यम् इह छने में लगभग छह दिनों की लगत होती है। ब्री भानी निषेतन विधा समिति, जयपुर सर्व राज्यूत रक्षा, जयपुर जारा भूमिपूर्व जयपुर रियासत के भूमि आवैटन आदेश टिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आदिनां उनके कब्जे हैं जी आ रही भूमि आवैटित विधि जाने पर उच्च न्यायालय से उनके जारा पूर्णपूर्ण दायर पायिकाएँ जायिस तैने हेतु विधियाँ में दे दिया गया ।

अत श्रृंगेर, सतदारा उपरोक्त दिक्षा नहीं प्रिय पुण्यजनार्थ राजस्थान में
राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 का अनुच्छेद राजस्थान भू-राजस्व इकूलों, कोर्सों,
चिकित्सालयों, धर्मालयों सर्व अन्य तावर्जिनिक उपयोग के खनन निर्माणार्थ अन्तर्धान सिवा
राजसीय गृहि भूमि का आधटन। नियम, 1963 के अन्तर्गत निहित भवित्वात्यों का पृष्ठोंग
बरते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित आदेश उमाई प. 21260 दिनें/3/80/11
दिनांक 25.8.84 को प्रशीलित/प्र/ प्रति संघर्ष बरते हुये निम्नलिखित आदेश
प्रस्तावित किये जाते हैं :-

१. राज्यत सभा लौ दाई स्कूल, बोहिंग हाउस एवं स्टाफ व्हार्स हेतु ५०। श्री
०। विस्ता भमि का भूम्पूर्व जप्पार रियासत दारा आवंटनादेश दिनांक
१०.१०.४२ का पुनर्स्थापन किया जाता है। यूकि राज्यत सभा के स्थान
पर श्री भानी निषेतन विधा तमिति विधा तस्थाजौ के हैलगन का छार्य
जर रही थी और यूकि अब इन विधा तस्थाजौ के संचालन के छार्य हेतु
श्री भानी निषेतन रज्यूषेन एण्ड वेरिटेबिल ट्रस्ट का मठन किया जा पुका
है। जल: दिनांक १०.१०.४२ के भूमि आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन श्री
भानी निषेतन रज्यूषेन एण्ड वेरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है।
इस पर राज्यत सभा, श्री भानी निषेतन विधातमिति तथा श्री भानी
निषेतन रज्यूषेन एण्ड वेरिटेबिल ट्रस्ट तहसता है।

उपरोक्ता भूमि है अलावा श्री भानी निषेतन विधा तमिति के छहौ में
आदिनांक जी आरडी ५४ बीधा १५ विस्ता भूमि का आवंटन उपरोक्ता
विधा आउट्रूयौ है लिये श्री भानी निषेतन रज्यूषेन एण्ड वेरिटेबिल
ट्रस्ट की निःशुल्क किया जाता है। इस्त्रूकार कुल ५५५ बीधा १६ विस्ता
भूमि का हैलगन परिविक्ट के अनुसार श्री भानी निषेतन रज्यूषेन एण्ड
वेरिटेबिल ट्रस्ट जप्पार को आवंटन किया जाता है।

— 3 —

Compy

Sunath

Smather

PRINCIPAL
Shri Bhawani Niketan T.T. College
Shekhawati Road, (Sikar Road)
JAIPUR - 302 023

- 3 -

3. उपरोक्तानुसार आवृद्धि भूमि का उपयोग श्री भवानी निकेतन संस्कृतेन इच्छा
विद्यालय द्वास्त प्रधारा ईकाल विद्यालय ग्रामजनार्थ की किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

6
49

श्री भवानी निकेतन
भवानी बुमार चपलोत
शासन उप अधिक

प्रतिलिपि:-

1. शासन अधिक, त्वायत्त शासन सर्व नारीय विकास एवं आधासन विभाग।
 2. अधिक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
 3. जिला छाकटर, जयपुर।
 4. अधिक, श्री भवानी निकेतन संस्कृत विद्यालय, जयपुर।
 5. इकाई पत्रावली।

शासन उप अधिक

प्राप्तिहस्तान्त्रिकी

प्राप्तिहस्तान्त्रिकी
श्री भवानी निकेतन
विद्यालय
जयपुर - 302 023

Sonali

PRINCIPAL
Shri Bhawanee Niketan T.T. College
Gandhi Chowk, Road (Sikar Road)
JAIPUR - 302 023

*Compl. by**Sonali*

प्राप्तिहस्तान्त्रिकी
श्री भवानी निकेतन विद्यालय
जयपुर - 302 023

परिविक्षण

राज्यकालीन निकेतन प्रिमिय संस्कृति, जयपुर को आवैटित की गई^{१३ अप्रैल ६६४}
भूमि का विवरण ।

क्रम सं.	नाम ग्राम	त्रितीय व चतुर्थ भूमि	रक्षा	
1.	बीड़ी सरकारी	जयपुर 7 8 9 10 11 12 13 14 15	73 बीथा 140 बीथा 62 बीथा 67 बीथा 3 बीथा - 3 बीथा 41 बीथा 19 बीथा	4 विस्ता 16 विस्ता 12 विस्ता 14 विस्ता - 8 विस्ता 12 विस्ता 18 विस्ता -
		पोग:-	412 बीथा	4 विस्ता
2.	झोट्याड़ा	जयपुर 1068 1069	34 बीथा 4 बीथा	7 विस्ता 5 विस्ता
		पोग:-	38 बीथा	12 विस्ता
3.	परतराम्भुरा	जयपुर 1 2 2/54 3 4 5 6	21 बीथा 10 बीथा - 12 बीथा 14 बीथा 1 बीथा 3 बीथा	2 विस्ता 11 विस्ता 5 विस्ता 2 विस्ता 10 विस्ता 6 विस्ता 10 विस्ता
		पोग :-	63 बीथा	6 विस्ता
		1/2	41 बीथा	14 विस्ता
		पोग :-	41 बीथा	14 विस्ता
		महायोग :-	555 बीथा	16 विस्ता

महायोग :- 555 बीथा 16 विस्ता

प्राचार्य

महान् निकेतन प्राचार्य पाठ्यकालीन परिविक्षण का

गोपनावाही चरण (तीकरे)

जयपुर Comp. by

PRINCIPAL

Shri Bhawani Niketan T.I. College
Gopalshah Road, (Sikar Road)